कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462001
दूरभाष : 0755-2665385, ई-मेल : cfdamp@rediffmail.com, fdampbhopal@gmail.com

क्र.3/खाद्य/02/70/2026 - 5088 भोपाल दिनांक-14-08-26

प्रति,

समस्त स्टेट हेड
ब्लिंकिट/जोमेटो/जेप्टो/ऑनडॉर/
रिलायंस/ बिग बास्केट/फ्लिपकार्ट/अमेजन
मध्यप्रदेश

विषयः- प्रतिबंधित एनालॉग दुग्ध उत्पादों के संग्रहण/विक्रय के संबंध में।

संदर्भः- इस प्रशासन का प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 5051 दिनांक 12.08.2026 के अनुक्रम में।

इस प्रशासन द्वारा जारी संदर्भित प्रतिबंधात्मक आदेश इस पत्र के साथ संलग्न है। प्रतिबंधात्मक आदेश में मध्यप्रदेश राज्य की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा के भीतर पनीर एनालाग (समान दिखने वाले/गैर डेयरी उत्पाद) जो कि पनीर जैसा दिखता है जिसमें दूध के फैट (वसा) या दूध के ठोस पदार्थों (Milk Solids) को पूरी तरह से या आंशिक रूप से वनस्पति तेल (Vegetable Oil), वनस्पति वसा (Vegetable Fat) या अन्य गैर दुग्ध पदार्थों से बने घटकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया हो, के निर्माण, भंडारण, वितरण (परिवहन सहित) और बिक्री पर धारा 30(2)(a) के तहत एक वर्ष की अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में इन प्रतिबंधात्मक दुग्ध उत्पादों का संग्रहण/वितरण/विक्रय आपके ई-कॉमर्स प्लेटफार्म एवं वेयरहाउस/गॉडाउन पर न हो, करना सुनिश्चित करें।

(मनोज पुष्प) I.A.S.
नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ. क्र.3/खाद्य/02/70/2026 - 5089 भोपाल दिनांक 14-08-26

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner